एक नजर में

प्रशासन गांव की ओर अभियान आज जिले के आलोट ब्लाक में

आलोट/रतलाम। जिले में भारत सरकार एवं राज्य सरकार की चिन्हित फ्लैगशिप योजनाओं में शत प्रतिशत सेचुरेशन को प्राप्त करने के लिए कलेक्टर मिशा सिंह के मार्गदर्शन में 'प्रशासन गाँव की ओर अभियान' चलाया जा रहा है। इस अभियान अंतर्गत शासन की फ्लैगशिप स्कीम का क्रियान्वयन, प्रगतिरत महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा एवं जन सुनवाई/किसान चौपाल आयोजित की जाती है। प्रशासन गांव की ओर अभियान अंतर्गत 20 फरवरी को जनपद पंचायत आलोट अंतर्गत 20 ग्राम पंचायत भोजाखेडी, कलस्या, गोयल, रावतखेड़ा, थूरिया, बोरखेड़ी, मुंज, भीम, बर्डिया राठौर, खजुरी सोलंकी, तालोद, गुराडिया, खामरिया, कंथारिया, रीछा, निपानिया राजगुरु, डाबडिया, धरोला, जोयन, पाटन में अनुश्रवण शिविर आयोजित किए जाऐगे। प्रत्येक पंचायत के लिए जिला स्तरीय नोडल अधिकारी, ब्लाक स्तरीय नोडल अधिकारी एवं ग्राम पंचायत स्तरीय अमले द्वारा उपस्थित होकर प्रात : 09 :00 बजे से 01 :00 बजे तक आमजन की समस्याओं को सुनकर अनुश्रवण पंजी में दर्ज किया जाएगा। दोपहर 01:00 से 01:30 बजे तक अभियान के क्लस्टर पंचायत मुख्यालय पर सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होगे। क्लस्टर पंचायत मुख्यालय पर अनुश्रवण पंजी की कलेक्टर द्वारा समीक्षा की जाएगी।

सोशल मीडिया, धरना–रैली व ध्वनि विस्तार यंत्रों पर प्रतिबंध

रतलाम। अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ शालिनी श्रीवास्तव के आदेशानुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अंतर्गत जन सामान्य के स्वास्थ्य के हित्त एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु रतलाम जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली फोटो/चित्र, संदेश करने पर, साम्प्रदायिक संदेश एवं उनकी फॉरवर्डिंग, टि्वटर, फेसबुक, व्हाट्सऐप सोशल मीडिया पर साम्प्रदायिक संदेश आदि करने से पोस्ट पर कमेंट करने की गतिविधियों एवं धरना, रैली, जुलूस तथा ध्वनि विस्तार यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी। उक्त आदेश आगामी 02 माह तक प्रभावशील रहेगा।

रतलाम जिले में नरवाई जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर 15,000 रुपए तक जुर्माना

रतलाम। पर्यावरण संरक्षण, जन–धन की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती मिशा सिंह ने जिले में खेतों में नरवाई (खापे) जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आदेशानुसार रबी फसल कटाई के बाद खेतों में नरवाई जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। हार्वेस्टर मशीनों के उपयोग के दौरान स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) अथवा स्ट्रॉ रीपर का उपयोग अनिवार्य किया गया है। बिना एसएमएस अथवा स्ट्रॉ रीपर के कंबाइन हार्वेस्टर चलाने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति पूर्ति के रूप में 2 एकड़ तक भूमि रुपए 2500 प्रति घटना, 2 से 5 एकड़ भूमि रुपए 5000 प्रति घटना, 5 एकड़ से अधिक भूमि रुपए 15000 प्रति घटना जुर्माना भी निर्धारित किया गया है।

जैविक,प्राकृतिक उत्पाद विक्रय हाट 22 को

रतलाम। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास के सभागृह में जिले में प्राकृतिक एवं जैविक खेती करने वाले कृषकों की कार्यशाला 19 फरवरी को आयोजित की गई। कार्यशाला में उप संचालक कृषि श्रीमती नीलम सिंह चौहान, परियोजना संचालक आत्मा निर्भय सिंह नर्गेश, उप संचालक उद्यानिकी मंगल सिंह डोडवे एवं मण्डी सचिव श्रीमती लक्ष्मी भंवर सहित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यशाला में जिलें के विभिन्न विकासखण्डों से 50 से अधिक कृषकों को जैविक हाट के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई तथा किसानों के द्वारा जैविक/प्राकृतिक उत्पाद विक्रय से संबंधित सुझाव लिये गये। वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौती आमजन को जहर मुक्त भोजन उपलब्ध करवाने की हैं। जिसके लियें कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह द्वारा प्रति सप्ताह रविवार को जैविक/प्राकृतिक उत्पाद विक्रय हाट लगाने के निर्देश दिये गये हैं। कलेक्टर के निर्देशानुसार सब्जी मण्डी पॉवर हाउस रोड रतलाम में पृथक से प्राकृतिक एवं जैविक उत्पाद विक्रय हेतु स्थान का निर्धारण कर 22 फरवरी, रविवार सुबह 8 बजें से जैविक/प्राकृतिक उत्पाद विक्रय हाट का शुभारंभ किया जायेगा। हाट में कृषक शुद्ध प्राकृतिक जैविक उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को विक्रय करेंगे।

छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती उत्साहपूर्वक मनाई

रतलाम। म.प्र.जन अभियान परिषद की द्वारा गठित वार्ड क्रमांक 36 एवं 11 की नगर विकास प्रस्फुटन समिति द्वारा वीरता, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती श्रद्धा और गरिमा के साथ मनाई गई। कार्यक्रम अतिथि परिषद् के विकासखंड समन्वयक शैलेंद्र सिंह सोलंकी स्थानीय नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं समिति सदस्यों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का शुभारंभ छत्रपति शिवाजी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से किया गया। जयंती पर उपस्थित समाजसेवी कुलदीप सिंह सोलंकी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि 'हिंदवी स्वराज' के संस्थापक थे, उन्होंने समाज को संगठित कर आत्मसम्मान और न्यायपूर्ण शासन की स्थापना की। उन्होंने उपस्थित जनसमुदाय से आह्वान किया कि शिवाजी महाराज के आदर्शों, एकता, सामाजिक समरसता, नारी सम्मान और स्वाभिमान को अपने जीवन में अपनाकर समाज को सशक्त बनाएं। ब्लॉक समन्वयक शैलेन्द्र सिंह सोलंकी ने कहा कि आज समय में समाज को आपसी सद्भाव और संगठन की आवश्यकता है, शिवाजी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि आंतरिक एकता ही समाज की सबसे बड़ी शक्ति होती है। कार्यक्रम का समापन सभी उपस्थितजनों द्वारा राष्ट्र और समाज की एकता एवं समरसता बनाए रखने के संकल्प के साथ किया गया। इस अवसर पर नगर विकास प्रस्फुटन समिति राजेंद्र प्रसाद वार्ड नं 36 अध्यक्ष नरेंद्र श्रेष्ठ, वार्ड 11 डोंगरे नगर अध्यक्ष महेंद्र नागर, सदस्य आशा उपाध्याय, शोभा श्रेष्ठ, सतीश टाक, समाजसेवी ओमप्रकाश पाटीदार, भारत सुयल, प्रदीप बिड़वाल सहित सदस्य गण उपस्थित रहे।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर बल्लीखेड़ा पर आयरन सुक्रोज इंजेक्शन लगाए गए

रतलाम। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संध्या बेलसरे ने बताया कि राष्ट्रीय मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिर बल्लीखेड़ा ब्लॉक सैलाना में गंभीर खून की कमी वाली 6 गर्भवती महिलाओं को आयरन सुक्रोज के इंजेक्शन कम्युनिटी हेल्थ ऑफीसर संजय मचार द्वारा लगाए गए। गर्भवती महिलाओं को आवश्यक परामर्श एवं उपचार सेवाएं प्रदान करते हुए सभी खून की कमी वाली महिलाओं को संस्थागत प्रसव कराने का परामर्श दिया गया तथा उन्हें आयरन एवं कैल्शियम की गोलियां प्रदान की गई।

एनडीपीएस के तीन आरोपी की संपत्ति फ्रिज

नवभारत न्यूज

रतलाम। एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित 78.50 करोड़ की अवैध संपत्तियों को सफेमा न्यायालय से फ्रीज कराने हेतु

तस्करी से अर्जित 78.50 करोड़ की अवैध संपत्तियों फ्रीज करने का दिया था आवेदन

भेजी गई, जिसमें से अभी तक 03 आरोपियों की 14.72 करोड़ की संपत्ति फ्रिज करने के आदेश न्यायालय ने दिए हैं।

मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के विरुद्ध सख्त एवं निरंतर अभियान के तहत रतलाम पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण वैधानिक कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों को सफेमा के तहत फ्रीज कराने के लिए विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों की कुल 78 करोड़ रुपए की संपत्ति फ्रिज करने के लिए सफ़ेमा न्यायालय प्रकरण भेजे गए थे। सफ़ेमा न्यायालय द्वारा 3 लोगों की कुल 14 करोड़ 72 लाख रुपए की संपत्ति फ्रिज करने के आदेश जारी किए गए है। गुमानसिंह की कृषि भूमि — क्षेत्रफल 1.30 हेक्टेयर, अनुमानित मूल्य 1,30,00,000/– (एक करोड़ तीस लाख रुपए) फ्रिज करने के आदेश जारी किए है। भगवानसिंह तथा उसके परिवारजन के नाम कृषि भूमि — कुल क्षेत्रफल 10.6220 हेक्टेयर तथा पक्का मकान आलीशान 3887 वर्ग फीट, अनुमानित मूल्य 11,60,00,000 (ग्यारह करोड साठ लाख रुपये) की संपूर्ण संपति को फ्रिज करने के आदेश जारी किए है। गोपाल धाकड की कृषि भूमि — क्षेत्रफल 1.27 हेक्टेयर भूमी अनुमानित मूल्य 01 करोड़ 82 लाख रुपए की फ्रिज करने के आदेश जारी किए।

फ्रिज की गई संपति का विवरण

गुमानसिंह गुर्जर : 31 मार्च 2014 को अवैध मादक पदार्थ एवं अवैध शराब की तस्करी करते रंगे हाथों पकड़ा गया। अपराध क्रमांक 168/2014, धारा 8/15, 18 एनडीपीएस एक्ट एवं 34(2) आबकारी एक्ट (इजाफा धारा 25 एनडीपीएस एक्ट) में माननीय न्यायालय द्वारा कुल मिलाकर 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया। आरोपी द्वारा तस्करी से अवैध संपत्तियां अर्जित किए जाने के प्रमाण पाए गए। गुमानसिंह की कृषि भूमि — क्षेत्रफल 1.30 हेक्टेयर, अनुमानित मूल्य 1,30,00,000/– (एक करोड़ तीस लाख रुपए) फ्रिज करने के आदेश जारी किए है।

भगवान सिंह : डोडाचूरा को पीसकर पाउडर बनाकर संगठित रूप से तस्करी में लिप्त रहा। अपराध क्रमांक 187/2017, धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट एवं इजाफा धारा 29 एनडीपीएस एक्ट में माननीय न्यायालय द्वारा 15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,50,000/– अर्थदंड से दंडित किया गया है। भगवानसिंह तथा उसके परिवारजन के नाम कृषि भूमि — कुल क्षेत्रफल 10.6220 हेक्टेयर तथा पक्का मकान आलीशान 3887 वर्ग फीट, अनुमानित मूल्य 11,60,00,000 (ग्यारह करोड साठ लाख रुपये) की संपूर्ण संपति को फ्रिज करने के आदेश जारी किए है।

गोपाल : 7 नवंबर2013 को अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करते रंगे हाथों पकड़ा गया। अपराध क्रमांक 311/2013, धारा 8/18,25,29 एनडीपीएस एक्ट में माननीय न्यायालय द्वारा 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1,00,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। आरोपी द्वारा तस्करी से अवैध संपत्तियां अर्जित किए जाने के प्रमाण पाए गए। गोपाल धाकड की कृषि भूमि — क्षेत्रफल 1.27 हेक्टेयर भूमी अनुमानित मूल्य 1 करोड़ 82 लाख रुपए की फ्रिज करने के आदेश जारी किए।

सीएमओ नीता जैन और लिपिक को 4 साल कठोर कारावास की सजा

रतलाम/जावरा। करीब पांच वर्षों की सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने रिश्वत मांगना और लेना प्रमाणित माना और दोनों को 4–4 साल कारावास व अर्थदंड से दंडित

5 वर्षों की सुनवाई के बाद रतलाम की विशेष अदालत ने सुनाई सजा

किया। नगरपालिका जावरा का रिश्वतकांड पर रतलाम की विशेष अदालत ने तत्कालीन सीएमओ नीता जैन और लिपिक विजयसिंह शक्तावत को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी मानते हुए चार–चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। बताते चले कि, शिकायतकर्ता सिविल ठेकेदार पवन भावसार ने नगरपालिका में कई निर्माण कार्य किए, कब्रिस्तान, मालीपुरा नाली, गुलशन टॉकीज की सीसी रोड और रतलामी गेट की नाली। काम के बदले 1,23,000 की सिक्योरिटी एफडी जमा थी, जिसमें करीब 60,000 का भुगतान बकाया था। एफडीआर रिलीज कराने पहुंचे ठेकेदार से कथित रूप से 3 प्रतिशत कमीशन मांगा गया। बातचीत बाबू विजय सिंह के माध्यम से हुई और करीब 20,000 में डील तय हुई। भावसार ने रिकॉर्डिंग के साथ उज्जैन लोकायुक्त में शिकायत कर दी। 12 मार्च 21 को नगरपालिका कार्यालय के बाहर 18,500 रुपए की रिश्वत दी गई। लोकायुक्त निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव ने 10 सदस्यों की टीम के साथ पहुंचकर दबिश दी और 500 रुपए के 37 नोट बरामद हुए, केमिकल टेस्ट में बाबू के हाथ लाल पाए गए लेकिन यह रकम सीएमओ के लिए आई थी। लोकायुक्त ने नीता जैन को मुख्य आरोपी और विजय सिंह को सह–आरोपी बनाया। लोकायुक्त ट्रैप के करीब दो महीने बाद 18 मई 2021 को नगरीय विकास एवं आवास विभाग के तत्कालीन उपसचिव डॉ. अभिताभ अवस्थी ने आदेश जारी करते हुए सीएमओ नीता जैन को सहायक आयुक्त, नगर निगम उज्जैन तथा बाबु विजय सिंह शक्तावत को नगर पालिका मंदसौर भेज दिया था।

भाजपा अज मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी में पूर्व विधायक मकवाना बने प्रदेश महामंत्री

रतलाम। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा, मध्यप्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। यह नियुक्तियां प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति

श्रीमती चारेल प्रदेश उपाध्यक्ष की मिली जिम्मेदारी

से की गई हैं। नियुक्ति सूची मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह टेकाम द्वारा जारी की गई। घोषित सूची के अनुसार, पूर्व विधायक दिलीप मकवाना को प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, श्रीमती संगीता चारेल को प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा संगठन को मजबूती देने के उद्देश्य से उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, कोषाध्यक्ष एवं कार्यालय मंत्रियों सहित कुल 21 पदाधिकारियों की घोषणा की गई है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, नई कार्यकारिणी से प्रदेश में अनुसूचित जनजाति समाज के बीच संगठनात्मक विस्तार को गति मिलेगी और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों में मोर्चा अधिक सक्रिय भूमिका निभाएगा। नियुक्त पदाधिकारियों ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए संगठन हित में पूरी निष्ठा से कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया है।

पवित्रता भंग होने पर जैन समाज में आक्रोश,ज्ञापन सौंपा

नवभारत न्यूज

रतलाम। शहर में स्थित श्री शांतिनाथ जैन मंदिर (बागड़ो का वास) में पिछले दिनों हुई गतिविधियों को लेकर जैन समाज ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। श्री ऋषभदेवजी केशरीमलजी जैन श्वेतांबर पेढ़ी ट्रस्ट बोर्ड और सकल जैन श्री संघ के पदाधिकारियों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि यह मंदिर 400 वर्ष से अधिक प्राचीन है, जहाँ जैन धर्म की मान्यताओं के अनुसार अत्यंत शुद्धता और मर्यादा का पालन किया जाता है। समाज का आरोप है कि 15 फरवरी 2026 को शिवरात्रि के पर्व पर प्रशासन की उपस्थिति में कुछ लोगों द्वारा मंदिर परिसर में खान–पान किया गया और जूठे मुंह मंदिर की मर्यादा भंग की गई। साथ ही, जैन धर्म में वर्जित 'जमीकंद' (कंदमूल) का उपयोग मूर्तियों के समक्ष किया गया, जिससे संपूर्ण जैन समाज की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। सकल जैन श्री संघ के वरिष्ठजनों और ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि मंदिर परिसर में गैर–जैन धर्मावलंबियों द्वारा इस प्रकार की अवांछित गतिविधियां नहीं रोकी गईं, तो जैन समाज स्वयं आगे आकर सख्त कदम उठाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।

फांसी का फंदा लगाया, मौत

रतलाम। घर के पीछे यास्मीन ने जामफल के पेड़ पर रस्सी से फंदा बनाकर मौत को गले लगा लिया। सूचना मिलते ही सुबह पुलिस मौके पर पहुंची। फंदे से उतार कर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार राजेंद्र नगर निवासी यास्मीन पति इरशाद (29) घर के बाड़े में जामफल के पेड़ पर लगे झुले की रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह 6:30 बजे जैसे ही पति इरशाद की नींद खुली और वह बाड़े में गया तो पत्नी को फांसी केंदे पर देख कर उसके होश उड़ गए। परिजनों का शोर सुनकर आस–पड़ोस के रहवासियों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। शव को फांसी के फंदे से उतार कर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज रवाना किया। पुलिस के अनुसार महिला ने अज्ञात कारणों के चलते आत्महत्या की है।

बस स्टैंड पर दुकानदारों को राहत, कोर्ट ने लगाई रोक

सैलाना। नगर के बस स्टैंड क्षेत्र में संचालित दुकानदारों को बड़ी राहत मिली है। हाल ही में नगर परिषद सैलाना द्वारा सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास स्थित 10 दुकानदारों को एक माह के भीतर दुकान खाली करने के नोटिस जारी किए गए थे।

नोटिस में बस स्टैंड के चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण का हवाला देते हुए दुकानों को रिक्त करने के निर्देश दिए गए थे। अचानक जारी इस नोटिस से प्रभावित दुकानदारों में असंतोष व्याप्त था।

उनका कहना था कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था और पर्याप्त समय दिए दुकान खाली करने का आदेश उनकी आजीविका पर सीधा प्रहार है। इसके विरोध में दुकानदारों ने अधिवक्ता दीपक रजक के माध्यम से न्यायालय की शरण ली।

प्रकरण में वरिष्ठ अधिवक्ता आकाश राठी द्वारा प्रस्तुत याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने दुकानों को खाली कराने संबंधी सूचना पत्र पर अंतरिम स्थगन (स्टे) प्रदान कर दिया है। न्यायालय के इस आदेश के बाद फिलहाल दुकानदारों को दुकान खाली नहीं करनी है।

सम्मेलन आयोजित हुआ

रतलाम। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत नव विवाहित दंपतियों को परामर्श प्रदान करने ग्राम चिकलाना ब्लॉक पिपलोदा में नवदंपति सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर तनुजा गंधर्व ने बताया कि सही उम्र में शादी, दो बच्चों के बीच अंतर रखने से माता और शिशु का स्वास्थ्य बेहतर रखा जा सकता है। संभागीय समन्वयक आशीष पुरोहित ने अपनी बात रखी।

मंडल रेल प्रबंधक को 9 सूत्री मांग पत्र सौंपा

रतलाम। ऑल इंडिया रेलवे पेंशनर्स वेलफेयर फेडरेशन रतलाम मंडल द्वारा मंडल रेल प्रबंधक अश्विनी कुमार को रेलवे पेंशनर्स की 9 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन संगठन के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र व्यास एवं कोषाध्यक्ष सुधीरकांत दुबे द्वारा प्रदान किया गया। चर्चा के दौरान व्यास ने बताया कि 30 जून एवं 31 दिसंबर को सेवानिवृत हुए कर्मचारियों को रेलवे बोर्ड के आदेश अनुसार एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ देकर पेंशन आदेश संशोधित किया जाना है लेकिन अर्पण के कारण नहीं हो पा रहा था, लेखा विभाग से जानकारी प्राप्त करने पर मालूम हुआ की लेखा विभाग ने अर्पण चालू करवा लिया है मुख्यालय से तथा रुके हुए 20 प्रकरणों पर कार्रवाई भी प्रारंभ हो गई तथा कुछ प्रकरणों को मुंबई भेज दिया गया है इसी प्रकार लेखा विभाग में 100 प्रकरणों पर भी कार्यवाही जारी है। चर्चा के दौरान व्यास ने मंडल रेल प्रबंधक से मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में पेशनरो की समस्याओं के लिए हेल्पलाइन नंबर प्रारंभ किया जाए इससे जो पेंशनर किसी कारणवश कार्यालय में नहीं आ सकते हैं तथा बाहर निवास करते हैं जो व्यक्तिगत रूप से नहीं आ सकते हैं वह अपनी समस्या से चर्चा कर निदान कर सकते हैं चाहे वह पारिवारिक पेंशनर हो एवं अन्य पेंशनर। व्यास ने बताया कि रेलवे बोर्ड द्वारा तथा मुख्यालय द्वारा तलाकशुदा, अविवाहित पुत्री, एवं विधवा पुत्री को पास एवं चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के भी निर्देश प्राप्त हुए हैं रेल प्रशासन से अनुरोध है कि उस पर संबंधित को आवश्यक निर्देश देकर लाभान्वित पेंशनरों को अवगत करावे तथा उनकी समस्याओं का समाधान हो सके।

उपसंचालक ने किया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण

रतलाम/नामली। उप संचालक एनएचएम डॉ निधि शर्मा ने जिला चिकित्सालय के मातृ एवं शिशु चिकित्सा इकाई, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरमावल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नामली का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत रतलाम जिले में 19 फरवरी को विशेष हेपेटाइटिस बी के स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन गर्भवती महिलाओं के लिए किया गया। कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं को दी जा रही स्वास्थ्य एवं हेपेटाइटिस बी की स्क्रीनिंग संबंधी कार्य की मॉनिटरिंग उपसंचालक द्वारा की गई। उन्होंने विभागीय अधिकारी और कर्मचारी को शत प्रतिशत महिलाओं के हेपेटाइटिस बी का स्क्रीनिंग करने एवं पॉजिटिव पाई गई महिलाओं को आवश्यक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संध्या बेलसरे, सिविल सर्जन डॉ एम एस सागर, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ वर्षा कुरील, डीपीएम श्रीमती अर्चना राठौर जिला एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉ गौरव बोरीवाल, हेमंत मकवाना, लैब टेक्नीशियन एवं नर्सिंग ऑफिसर उपस्थित थे।

आदर्श हायर सेकेंडरी मॉडल स्कूल के स्वीकृत 25 शिक्षक, जिनमें से 17 पद रिक्त

जावरा। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किये जा रहे है, रिक्त पदों पर नियुक्ति की जा रही है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने विधायक डॉ राजेन्द्र पांडेय के प्रश्न पर उक्त जानकारी दी। विधायक डॉ पांडेय ने जावरा विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न चिकित्सा केंद्रों में रिक्त पदों की पूर्ति का मामला उठाया। उपमुख्यमंत्री शुक्ल ने बताया कि जावरा विधानसभा क्षेत्र में सिविल हॉस्पिटल जावरा व पिपलौदा के अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रिंगनोद व उपस्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। हालांकि दोनों विकासखण्डों के चिकित्सा केंद्रों में विभिन्न पदों की रिक्ति है। जिनमे प्रथम श्रेणी चिकित्सको से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल है। इन रिक्त पदो की पूर्ति के लिए नियुक्ति प्रक्रिया की जा रही है। इनमें 8 चिकित्साकर्मी उच्च अध्ययन के लिए अवकाश पर गए है। विधायक डॉ पांडेय के एक प्रश्न पर स्कूल शिक्षा मंत्री उदयप्रताप सिंह ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जावरा में आदर्श हायर सेकेंडरी(मॉडल)स्कूल संचालित किया जा रहा है। यहां स्वीकृत 25 शिक्षकों के पदों में 17 पद रिक्त है। जिनकी पूर्ति अतिथि शिक्षकों के माध्यम से की जा रही है। मॉडल स्कूल में नवनिर्मित 11 स्टॉफ क्वार्टर में से 3 के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है। शिक्षा मंत्री ने आगे बताया कि हायर सेकंडरी व हाईस्कूल में रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र नियुक्ति से की जाएगी। विधायक डॉ पांडेय के एक प्रश्न पर राजस्व मंत्री करणसिंह वर्मा ने बताया कि रतलाम जिले में भूमि सीमांकन, बंटवारा, नक्शा त्रुटि सुधार, ड्रोन सर्वे में त्रुटि सुधार जैसे तीन वर्षो 45162 आवेदन प्राप्त हुए। जिले के अलग अलग तहसील व अनुविभागीय कार्यालयों में विभिन्न स्तर पर इन प्रकरणों को निराकृत किया गया। वर्तमान में 6369 प्रकरण लम्बित है। एक अन्य प्रश्न के जवाब में श्री वर्मा ने बताया कि जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय भूमि के निजी भूमि किए जाने की 4 प्रमुख शिकायतों पर कार्रवाई की गई, लेकिन प्रकरण न्यायालय में जाने से लंबित स्थिति में है।

बैठक | **गौ सम्मान का संकल्प : राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने जनजागरण अभियान चलाने का आह्वान**

इकबालगंज मैदान में सर्वसमाज की बैठक, होगी 'गौरक्षा कथा'

27 अप्रैल को ज्ञापन सौपेंगे

बैठक में श्री ब्रजबिहारी सरकार ने बताया कि आगामी 27 अप्रैल 2026 को गौ सम्मान आव्हान के तहत देश के सभी ब्लॉक स्तरों पर सक्षम अधिकारियों को सामूहिक रूप से ज्ञापन सौंपे जाएंगे, ताकि गौसंरक्षण और गौसंवर्धन से संबंधित मांगों को शासन–प्रशासन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सके।

नवभारत न्यूज

जावरा। इकबालगंज मैला मैदान पर बुधवार को सर्वसमाज की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें आचार्य अनिकेत कृष्ण महाराज ब्रजबिहारी सरकार (श्री कामधेनु गौशक्तिपीठ सुजापुर) एवं गो–क्रांतिकारी संत स्वामी गोशरणानंद सरस्वती महाराज विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में बड़ी संख्या में सर्वसमाजजन, धर्मप्रेमी नागरिक एवं गौसेवा से जुड़े कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए ब्रजबिहारी सरकार ने कहा कि देशभर में गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर से लेकर बड़े स्तर तक निरंतर प्रयास करने होंगे। इसके लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाकर लोगों में जागृति लाना आवश्यक है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की।

विधायक की सराहना, जल्द होगा आयोजन: इस अवसर पर जावरा विधायक डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय की सराहना करते हुए संतों ने कहा कि क्षेत्रवासियों को धर्मप्रेमी, राष्ट्रप्रेमी एवं सहज उपलब्ध जनप्रतिनिधि मिला है। साथ ही आगामी दिनों में जावरा नगर में भव्य गौरक्षा कथा आयोजन करने की घोषणा भी की गई। बैठक में अशोक सेठिया, कैलाश विजयवर्गीय, मोहन पटेल, प्रमोद रावल, घनश्याम सोलंकी, राजेन्द्र गर्ग, मनोहर पांचाल, लालचंद देवानी, रितेश जैन, शिवेन्द्र माथुर, नंदकिशोर महावर, बबलु यादव, महेश राठौड़, जगदीश सोलंकी, सोनु यादव, चन्द्रप्रकाश सोलंकी, कालू कदम, अमित पाठक, भंवरगिरी गोस्वामी, राजेन्द्रसिंह असावती, कैलाश बारोड़, रवि ओरा पिपलौदा, सुरेश पोरवाल, दशरथ कसानिया, प्रमोद पुरोहित, गणेश धाकड़, अनिल धारीवाल, रवि गुल्या, गोपाल सालित्रा, विनोद शर्मा, शरद डुंगरवाल, मोतीलाल यदुवंशी, विजय शर्मा, सुनिल सांखला, बाबुलाल टांक, रजत सोनी, ओपी जोशी, चत्तर सेनी आदि सहित सर्वसमाजन उपस्थित रहे।